


दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

18/9/25

पञ्जावली पेश हुई। उभय पक्षों
 उभय पक्षों की बहस पूर्व में हुई।
 जायसी की विज्ञान अधिपति की
 मौखिक बहस। पञ्जावली में
 उपलब्ध दस्तावेजों का संश्लेषण
 आधार पर वादी का वाद
 डिली किया जाना उचित नहीं
 है। अतः विस्तृत विधि
 रीति किया जाना शामिल
 मिसाल है। पञ्जावली के सल उभय
 पक्षों के बीच के दस्तावेजों का
 दस्तावेज है। आदेश खुले आयात में
 रचना का गणना


 उपस्थित अधिकारी
 साभरलेक